बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या— १६ ५ /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अनुसूची 'क' के अंतर्गत पड़ने वाले कैमूर जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या—2174 दिनांक—12.06.09 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है, नगर पंचायत का गठन करते है तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधान उक्त क्षेत्रों पर लागू करते है:—

अनुसूची 'क'

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(ক)	ग्राम का नाम	थाना सं0
	1. मोहनिया	131
	2. डंड्वा	535
	3. कन्हिया	536
	4. अवांरी	537
	5. रसूलपुर करम्हरी	134
(ख)	चौहद्दी	
,	उत्तर	भरखर ग्राम
	दक्षिण	रतवार ग्राम (भभुआ प्रखंड अन्तर्गत)
	पूरब	बरेज एवं बेलीडी ग्राम
	पूरब पश्चिम	दनियालपुर कुरई ग्राम

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, मोहनियाँ कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार सिंह) संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक— २८५ / न०वि०एवं.आ०वि० / पटना, दिनांक— १२-८१-१८ प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) गठ—7/08 १६०६ / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक— १३-०६ । विकास प्रतिलिपिः— सभी विभाग सभी विभागध्याक्ष /प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, कैमूर /महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, कैमूर /माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव /माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

गुर्ग । १०१ । १० संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) गठ—7/08 २६६ / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक—12-कि—।/८ प्रतिलिपिः— सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

्री १ () । । ० संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-4 (न) गठ-7/08 265 अधिसूचना संख्या-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के /का निम्नलिखित अनुवाद बिहार खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाट समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar

Urban Development and Housing Department

No-4 (N) Gath-7/08 265 /In exercise of powers conferred by section 6 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007) the Governor of Bihar is pleased to constitute the following Nagar Panchayat, draft of which is previously published through the department's notification no. 2174 dated 12.06.09, for the purpose of the said Act in the areas lying within the places noted below in schedule 'A' in the District of Kaimur and bounded as follows and to apply to the said areas the relevant provisions of the Act:-

Schedule- A

1 (a) Name of villages and Thana Nos

Name of Village		
mage	1 3 4 1 .	Thana No.
	1. Mohaniya	131
	2. Danrwa	535
	3. Kanhiya	_
	4. Amwari	536
		537
Roundary	5. Rasulpur Karmhari	134

(b) Boundary:-

North-Village Bharkhar South-Village Ratwar (under Bhabhu Block) East-Barej and Belidi Village West-Daniyalpur Kurai Village This area will be called Nagar Panchayat, Mohaniya

This notification shall come to force at once. 2.

By the order of the Governor of Bihar

(Ashok Kumar Singh) Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

265 Memo No-4 (N) Gath-7/08

. Memo No-4 (N) Gath-7/08

UD&HD

Dated:-なっしーで

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Uraban Development and Housing Department.

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:-12-01-10

Copy to All Departments/Departmental Heads/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditer of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Kaimur/ Priviate Secretary to the hounrable Chief Minister/ Priviate Secreatary to the hounrable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Memo No-4 (N) Gath-7/08

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 12-01-10

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department